आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रतापगढ़,तहसील :प्रतापगढ़
वाद संख्या :-5437/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202570305437
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह सुत राम नरायन सिंह निवासी ग्राम सराय भीमसेन पर0 व तह0 सदर प्रतापगढ़ के प्रार्थनापत्र जो आर0सी0 प्रपत्र 25 पर प्रस्तुत किया गया है, के आधार पर 80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि ग्राम सराय भीमसेन परगना व तहसील सदर प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या 00239 की गाटा संख्या 301मि0 क्षेत्रफल 0.598हे0 में से 0.190हे0 पर आवेदक द्वारा मौके पर स्कूल मय बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया है और उस पर कोई कृषिक कार्य नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि को कृषि कार्य से भिन्न अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण की जांच तहसीलदार सदर से करायी गयी। लेखपाल की निर्धारित प्रारूप पर मय नजरी नक्शा, स्थल की फोटो सहित आख्या दिनांक 24.06.2022 राजस्व निरीक्षक की आख्या 27.09.2022 एवं तहसीलदार सदर दिनांक 28.09.2022 संलग्न पत्रावली है जिसमें कहा गया है कि भूमि स्थित ग्राम सराय भीमसेन परगना व तहसील सदर प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या 00239 की गाटा संख्या 301मि0 क्षेत्रफल 0.598हे0 में से 0.190हे0 पर आवेदक द्वारा मौके पर स्कूल मय बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया है तथा उस पर कोई कृषिक कार्य नहीं हो रहा है। आवेदक तनहा खातेदार है। तहसीलदार सदर की आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने से सार्वजनिक न्यूसेंस होने की सम्भावना नहीं है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि हाइवे/किसी प्रयोजन से प्रस्तावित नहीं है। अभिलेखों तथा तहसीलदार की संलग्न आख्या से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि ग्रामसभा की सामान्य अथवा सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। (धारा 77 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 से आच्छादित नहीं है।) जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार 02 प्रतिशत 11780/- होता है। प्रश्नगत भूमि अकृषिक/आवासीय होने के दृष्टिगत मु0 11780/- रूपये जरिये चालान राजस्व कोषागार में जमा किया गया है, जिसे न्यायालय के रीडर/राजस्व अहलमद द्वारा सत्यापित किया गया है और संलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम सराय भीमसेन परगना व तहसील सदर प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या 00239 की गाटा संख्या 301मि0 क्षेत्रफल 0.598हे0 में से 0.190हे0 पर आवेदक द्वारा मौके पर स्कूल मय बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया गया है, अकृषिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है एवं कृषि कार्य नहीं हो रहा है, जिसको अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह सुत राम नरायन सिंह निवासी ग्राम सराय भीमसेन पर0 व तह0 सदर प्रतापगढ़ की भूमि स्थित ग्राम सराय भीमसेन परगना व तहसील सदर प्रतापगढ़ की वर्तमान खतौनी खाता संख्या 00239 की गाटा संख्या 301मि0 क्षेत्रफल 0.598हे0 में से 0.190हे0 भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद स्वीकार करते हुए धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। लेखपाल का स्थलीय सत्यापन दिनांक 24.06.2022, राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आख्या दिनांक 27.09.2022 एवं तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 28.09.2022 आदेश का अंग होगा। पत्रावली सत्यापित अभिलेखों, आख्या तथा शपथपत्रों के असत्य या त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में यह आदेश उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 82 के तहत स्वतः निरस्त समझी जायेगी। उक्त के अतिरिक्त किसी विपरीत अथवा मिथ्या तथ्य के संज्ञान में आने पर प्रभावित पक्ष का हित सुरक्षित माना जायेगा। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सदर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश का अनुपालन राजस्व अभिलेखों में कराकर आख्या 15 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक सदर प्रतापगढ़ को भेजी जाय। अनुपालन कार्यवाही के उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17.10.2022
उपजिलाधिकारी
सदर,प्रतापगढ़।

पृष्ठ संख्या :